



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 187] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 28, 1992/वैशाख 8, 1914
No. 187] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 28, 1992/VAISAKHA 8, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1992

सां.का.नि. 438(अ).-रेल वाड़ा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) की धारा 30 की
उप धारा (2) के खंड (ग) (ङ), (च) और (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार
एतद्वारा रेल वाड़ा अधिकरण (कार्यविधि) नियम, 1989 को संशोधित करने के लिए और निम्नलिखित नियम
बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों को रेल वाड़ा अधिकरण (कार्यविधि) संशोधन नियम, 1992 कहा जाए।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने को तत्पश्चात् लागू होंगे।

2. रेल दावा अधिकरण (कार्यविधि) नियम, 1989 के नियम 15 के उप-नियम (2) में “अपक्ष-पक्ष के साथ” शब्दों को हटा दिया जाए।

टिप्पणी

मुख्य नियमों की दिनांक 19 नवम्बर, 1989 को सा.का.नि. 842(ई) के तहत प्रकाशित किया गया था, और तत्पश्चात् दिनांक 26 नवम्बर, 1991 के सा. का. नि. पं. 700(ई) के तहत संशोधित किया गया था।

[नं. 89/टो. सा. (आर.ए.आर.)/1-5]

एम. के. मलिक, निदेशक, यातायात आगम्य
(आर. ए. आर.)
रेलवे बोर्ड।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 1992

G.S.R. 438(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (c), (e), (f) and (g) of sub-section (2) of Section 30 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules, 1989, namely :—

1. (1) These rules may be called the Railway Claims Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 1992.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In sub-rule (2) of rule 15 of the Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules, 1989, the words “alongwith affidavit” shall be omitted.

NOTE :

The principal rules were published vide G.S.R. 842(E) dated 19th September, 1989 and subsequently amended by G.S.R. No. 700(E) dated 26th November, 1991.

[No. 89/TC(RCT)/1-5]

S. K. MALIK, Director Traffic Commercial
(Railway Act Revision)
Railway Board.